राजस्व लोक अदालत केम्प आकडली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 90/2018 2018/01137

वादीगण :— 1 पोकरराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी आकडली धनसिंह
बनाम
प्रतिवादीगण :— 1. उमाराम 2. निम्बाराम पुत्र नैनाराम
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांकः—31.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत आकडली प्रस्तुत की गई।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम आकडली धनसिंह के के विवादित ख0न0 352/128 रकबा 60 बीघा में वादीगण 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः 1/3 व 1/3 के खातेदार है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप स खरीद की थी। खरीद के दौरान जानकारी न होने से वादी का बोलचाल का नाम पुरखाराम पुत्र नैनाराम लिखवा दिया गया है। जबकि वादी का सही नाम पोकरराम पुत्र नैनाराम है। सही नाम पोकरराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा वाद के साथके प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड , जमाबंदी व पटवारी आकडली/ आर.आई साजियाली की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम आकडली धनसिंह के के विवादित ख0न0 352/128 रकबा 60 बीघा में वादी का नाम पुरखाराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में पोकरराम दर्ज है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम आकडली धनसिंह के के विवादित ख0न0 352/128 रकबा 60 बीघा में वादी का नाम पुरखाराम के स्थान पर पोकरराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बा...... कैम्प.......................

Scanned by CamScanner